

[2023] 2 एस. सी. आर 183

/

मेसर्स बी. एल. एस. इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम

मेसर्स राजवंत सिंह और अन्य (2023 की आपराधिक अपील संख्या 657-664) 1 मार्च, 2023

/

[सुधांशु धूलिया और मनोज मिश्रा, जे. जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973:एस. 256 (1) प्रावधान-शिकायतकर्ता की गैर-उपस्थिति-गैर-अभियोजन के लिए शिकायतों को खारिज करना-इसकी स्थिरता-तथ्यों पर, अपीलकर्ता-शिकायतकर्ता ने धारा 138, एन. आई. अधिनियम के तहत आठ शिकायतें दर्ज कीं-शिकायतकर्ता का बयान और प्रतिपरीक्षा विधिवत दर्ज की गई-तदनुसार, शिकायतकर्ता के साक्ष्य को बचाव साक्ष्य दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथि के साथ बंद कर दिया गया-शिकायतकर्ता द्वारा भी धारा 311 सी. आर. पी. सी. के तहत आवेदन दायर किया गया-हालाँकि, शिकायतकर्ता बाद की तारीखों पर उपस्थिति दर्ज करने में विफल रहा-मजिस्ट्रेट ने गैर-अभियोजन के लिए शिकायतों को खारिज कर दिया-उच्च न्यायालय ने निर्णय की पुष्टि की-हस्तक्षेप के साथ-आयोजित:आहूत किया गया-न तो मजिस्ट्रेट और न ही उच्च न्यायालय ने इस तथ्यात्मक स्थिति पर ध्यान दिया कि शिकायतकर्ता से पूछताछ की गई थी और प्रतिपरीक्षा की गई थी-मजिस्ट्रेट ने शिकायतों को तुरंत खारिज करने में गलती की-मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य के साथ आगे बढ़ सकते थे-इसके अलावा, शिकायतकर्ता की उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए छूट दी जा सकती थी। 256(1) परंतुक-शिकायतें बहाल-परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 -एस. 138.

/

/

/

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया :**1.** दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 256 की उप-धारा (1) के परंतुक को सीधे पढ़ने से यह संकेत मिलता है कि जहां मजिस्ट्रेट संतुष्ट है कि शिकायतकर्ता की व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक नहीं है, वह शिकायतकर्ता की उपस्थिति को समाप्त कर सकता है और मामले को आगे बढ़ा सकता है। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जहां शिकायतकर्ता/अभियोजन पक्ष का साक्ष्य दर्ज किया गया है और गुण-दोष के आधार पर मामले

का फैसला करने के लिए शिकायतकर्ता की उपस्थिति आवश्यक नहीं है।[पैरा **10**] **[188-ए-बी]** **12.** निचली विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने इस बात को ध्यान में नहीं रखा कि शिकायतकर्ता की जिरह हुई थी

/

/

/

183 ए.

184 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 2 एस. सी. आर.

तीन शिकायत मामलों में जांच पूरी हो गई थी और उपरोक्त तीन शिकायत मामलों में जिरह को अन्य बचे हुए मामलों में अपनाया गया था। इस प्रकार नीचे दिए गए दोनों न्यायालय इस बात पर विचार करने में विफल रहे कि क्या धारा **256** की उप-धारा **(1)** के परंतुक के अंतर्गत मामले के तथ्यों में, अदालत शिकायतकर्ता की उपस्थिति के साथ मामले को निपटाने के बाद आगे बढ़ सकती है।[पैरा **13**] **[189-डी-ई]**

/

3. इसके अलावा, यदि शिकायतकर्ता संहिता की धारा **311** के अंतर्गत आवेदन करने के लिए उपस्थित नहीं हुआ था, तो मजिस्ट्रेट संहिता की धारा **311** के अंतर्गत आवेदन को खारिज कर सकता था और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर मामले को आगे बढ़ा सकता था।
[पैरा 13] [189-एफ]

/

4. मजिस्ट्रेट ने शिकायतों को तुरंत खारिज कर दिया और शिकायतकर्ता के उपस्थित न होने पर आरोपी को बरी करने का आदेश देना उचित नहीं था। उच्च न्यायालय भी उक्त पहलुओं पर ध्यान देने में विफल रहा। इस प्रकार, आक्षेपित आदेशों को अलग रखा जा सकता है।[पैरा **13**] **[189-एफ-जी]**

/

एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड बनाम केशवानंद **(1998) 1**

एससीसी 687:[1997] 6 पूरक।एससीआर 500; एस. आनंद बनाम वासुमति चंद्रशेखर (2008) 4 एससीसी 67:[2008] 2 एससीआर 870-पर निर्भर।

/

एस. राम कृष्ण बनाम एस. रामी रेड्डी (मृत) उनके एल. आर. और

अन्य (2008) 5 एस. सी. सी. 535:[2008] 6 एस. सी. आर. 1236-संदर्भित।

संदर्भित निर्णय

/

[1997] 6 पूरक।एस. सी. आर. 500 पैरा 8 [2008] 2 एस. सी. आर. 870 पर निर्भर था।

पर विश्वास किया

पैरा **8**

[2008] 6 एससीआर 1236

संदर्भित

पैरा **8**

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2023 की आपराधिक अपील संख्या 657-664।

/

2019 के सी. आर. एल. एल. पी. Nos.315,316,317,318,319,320,321 और 322 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांकित <आई. डी. 2 के निर्णय और आदेश से।

मनिंदर सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, नीरज गुप्ता, दीपक गोयल, सुश्री उर्वशी शर्मा, सुश्री सीता अग्रवाल, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

/

185

मेसर्स बी. एल. एस. इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम मेसर्स राजवंत सिंह ए.

/

सम्राट निगम, अमित पुंज, मैबम नबघनश्यम सिंह, अधिवक्ता।शरणार्थियों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

मनोज मिश्रा, जन्या.

1. अनुमति दी गई।

/

2. विशेष अनुमति याचिकाओं के माध्यम से ये अपीलें दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित 07.11.2019 के निर्णय और आदेश के खिलाफ निर्देशित की जाती हैं, जिसमें शिकायतकर्ता (इसमें अपीलकर्ता) की गैर-उपस्थिति के लिए आपराधिक शिकायतों No.621744/16,1718/16,1276/16,1277/16,621743/16,621742/16,12742/17 और 12744/17 को खारिज करते हुए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट-04 (एन. आई. अधिनियम)/दक्षिण पूर्व, साकेत अदालतों, नई दिल्ली (संक्षेप में "विद्वान मजिस्ट्रेट") के आदेश के खिलाफ अपीलकर्ता द्वारा दायर 2019 के Crl.L.P से 322 को खारिज कर दिया गया है।

/

3. इन अपीलों में हमारे विचार के लिए जो छोटा प्रश्न उठता है, वह यह है कि क्या मामले के तथ्यों में, शिकायतकर्ता की गैर-उपस्थिति के लिए आपराधिक शिकायतों को खारिज करने में विद्वान मजिस्ट्रेट को उचित ठहराया गया था, भले ही शिकायतकर्ता का बयान दर्ज किया गया था और दिनांक 26.10.2017 के विद्वान मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार, शिकायतकर्ता के साक्ष्य को बचाव साक्ष्य दर्ज करने के लिए मामले को सूचीबद्ध करने के निर्देश के साथ बंद कर दिया गया था और साथ ही शिकायतकर्ता द्वारा दायर दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में "संहिता") की धारा 311 के अंतर्गत आवेदन पर विचार करने के लिए भी।

/

/

4. उपरोक्त मुद्दे को उचित रूप से संबोधित करने के लिए, इन अपीलों को जन्म देने वाले तथ्यों का एक संक्षिप्त विवरण देना उचित होगा।

5. अपीलार्थी ने परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अंतर्गत उत्तरदाताओं के खिलाफ कुल आठ शिकायतें दर्ज कीं। वर्ष 2011 में तीन, वर्ष 2013 में तीन और वर्ष 2017 में शेष दो शिकायतें दर्ज की गईं। उपरोक्त आठ शिकायतों में से शिकायत मामले Nos.621742/16,621743/16 और 621744/16 में शिकायतकर्ता से जिरह की गई। <आई. डी. 1 पर, अभियुक्त के विद्वान वकील ने विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष एक बयान दिया कि सी. डब्ल्यू.-1 (शिकायतकर्ता) की प्रतिपरीक्षा, जैसा कि उपरोक्त तीन मामलों में किया गया है, शेष शिकायतों में अपनाई जाएगी। उपरोक्त बयान के आधार पर, शिकायतकर्ता के साक्ष्य को बंद कर दिया गया और बचाव पक्ष के साक्ष्य को दर्ज करने के लिए मामलों को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया। उस स्तर पर, एक आवेदन दायर किया गया था

/

/

/

/

[2023] 2 एस सी आर।

कुछ गवाहों को बुलाने के लिए संहिता की धारा 311 के अंतर्गत शिकायतकर्ता। जब मामला उस स्तर पर लंबित था, अपीलार्थी के अनुसार, अपीलार्थी के वकील ने अपीलार्थी को इस विश्वास में गुमराह किया कि अपीलार्थी की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है क्योंकि एक समझौते पर बातचीत की जा रही थी। यह अपीलार्थी का मामला है कि इन परिस्थितियों में, अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ और अंततः 25.01.2019 दिनांकित आदेश के माध्यम से गैर-उपस्थिति के लिए शिकायतों को खारिज कर दिया गया।

/

6. गैर-अभियोजन के लिए शिकायतों को खारिज करने के आदेश को आठ अलग-अलग याचिकाओं के माध्यम से दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी, जिन्हें इन अपीलों में आक्षेपित एक सामान्य आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था।

/

7. हमने अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मनिंदर सिंह और प्रत्यर्थियों की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सम्राट निगम को सुना है।

8. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने गैर-अभियोजन के लिए शिकायतों को खारिज करते हुए संहिता की धारा 256 की उप-धारा (1) के परंतुक की दृष्टि खो दी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त परंतुक मजिस्ट्रेट को शिकायतकर्ता की उपस्थिति को समाप्त करने और उस मामले में आगे बढ़ने में सक्षम बनाता है जहां शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व एक वकील या अभियोजन का संचालन करने वाले अधिकारी द्वारा किया जाता है या जहां मजिस्ट्रेट की राय है कि शिकायतकर्ता की व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक नहीं है।

/

/

यह प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि शिकायतकर्ता का बयान दर्ज किया गया था और शिकायतकर्ता से भी जिरह की गई थी, इसलिए शिकायत मामले के समर्थन में रिकॉर्ड पर स्वीकार्य सबूत मौजूद थे। इन परिस्थितियों में, भले ही शिकायतकर्ता अनुपस्थित था, विद्वान मजिस्ट्रेट गुण-दोष के आधार पर मामले का फैसला करने के लिए आगे बढ़ सकता था। इस प्रकार, विद्वान मजिस्ट्रेट का आदेश इस बात पर ध्यान देने में विफल रहने के लिए दूषित है कि संहिता की धारा 256 की उप-धारा (1) के प्रावधान के अंतर्गत शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति

में भी मामले को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाने के लिए रिकॉर्ड पर सबूत मौजूद हैं। यह आग्रह किया जाता है कि उच्च न्यायालय भी उपरोक्त पहलू पर ध्यान देने में विफल रहा; परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय के साथ-साथ विद्वान मजिस्ट्रेट के आदेश (आदेशों) को दरकिनार किया जाना चाहिए और मामले को उस स्तर पर बहाल किया जाना चाहिए जिस पर विद्वान मजिस्ट्रेट ने शिकायत को खारिज कर दिया था।

/

/

उनकी दलीलों के समर्थन में, अपीलार्थी के विद्वान वकील ने एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा रखा।

/

187

मेसर्स बी. एल. एस. इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम मेसर्स राजवंत सिंह [मनोज मिश्रा, जे.] ए.

/

लिमिटेड वी. केशवानंद 1; एस. आनंद बनाम वासुमति चंद्रशेखर 2; और, एस. राम कृष्ण बनाम एस. रामी रेड्डी (मृत) उनके एल. आर. और अन्य 3 द्वारा।

9. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी (ओं) के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि संहिता की धारा 256 की उप-धारा (1) मजिस्ट्रेट को अभियुक्त को बरी करने का आदेश देती है, यदि अभियुक्त की उपस्थिति के लिए नियत दिन या उसके बाद के किसी भी दिन, जिस दिन सुनवाई स्थगित की जा सकती है, शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं होता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि यह विवाद में नहीं है कि शिकायतकर्ता ने संहिता की धारा 311 के अंतर्गत एक आवेदन दायर किया था और शिकायतकर्ता कार्यवाही से अनुपस्थित रहा, इसलिए शिकायतकर्ता की गैर-उपस्थिति के लिए शिकायत (ओं) को खारिज करने में विद्वान मजिस्ट्रेट को उचित ठहराया गया था। यह भी आग्रह किया गया है कि यदि शिकायतकर्ता की गैर-उपस्थिति के लिए शिकायत (ओं) को खारिज करने में कोई तकनीकी दोष है, तो उसे संहिता की धारा 256 की उप-धारा (1) के प्रावधानों के अनुसार बरी करने के आदेश के रूप में माना जाए।

/

/

10. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर ध्यान देने के बाद, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, संहिता की धारा 256 के प्रावधानों पर ध्यान देना उपयोगी होगा, जो नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:

/

“256. शिकायतकर्ता की गैर-उपस्थिति या मृत्यु।—(1) यदि शिकायत पर समन जारी किया गया है, और अभियुक्त की उपस्थिति के लिए नियत दिन पर, या उसके बाद के किसी भी दिन जिस दिन सुनवाई स्थगित की जा सकती है, शिकायतकर्ता पेश नहीं होता है, तो मजिस्ट्रेट, इसमें पहले कुछ भी निहित होने के बावजूद, अभियुक्त को बरी कर देगा, जब तक कि वह किसी कारण से मामले की सुनवाई को किसी अन्य दिन के लिए स्थगित करना उचित नहीं समझता है। बशर्ते कि जहां शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व एक वकील या अभियोजन का संचालन करने वाले अधिकारी द्वारा किया जाता है या जहां मजिस्ट्रेट की राय है कि शिकायतकर्ता की व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक नहीं है, तो मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति को समाप्त कर सकता है और मामले को आगे बढ़ा सकता है।

/

/

(2) उप-धारा (1) के प्रावधान, जहां तक हो सके, उन मामलों में भी लागू होंगे जहां शिकायतकर्ता की गैर-उपस्थिति उसकी मृत्यु के कारण है। ”

/

1 (1998) 1 एससीसी 687 2 (2008) 4 एससीसी 67 3 (2008) 5 एससीसी 535

/

188

/

[2023] 2 एस सी आर।

धारा 256 की उप-धारा (1) के परंतुक को सीधे पढ़ने से यह संकेत मिलता है कि जहां मजिस्ट्रेट संतुष्ट है कि शिकायतकर्ता की व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक नहीं है, वह शिकायतकर्ता की उपस्थिति को समाप्त कर सकता है और मामले को आगे बढ़ा सकता है। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जहां शिकायतकर्ता/अभियोजन पक्ष का साक्ष्य दर्ज किया गया है और गुण-दोष के आधार पर मामले का फैसला करने के लिए शिकायतकर्ता की उपस्थिति आवश्यक नहीं है।

/

11. एस. आनंद (उपरोक्त) के मामले में, एक ऐसी स्थिति को संबोधित करते हुए जहां शिकायतकर्ता अनुपस्थित था, लेकिन पहले ही अपने गवाहों से पूछताछ कर चुका था, इस न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की:

“12. संहिता की धारा 256 में गलती से शिकायत के निपटारे का प्रावधान है। इसमें दोषमुक्त होना शामिल है। लेकिन, विचार के लिए जो प्रश्न उठता है वह यह है कि क्या मामले के तथ्यों में उक्त प्रावधान का सहारा लिया जा सकता था क्योंकि शिकायतकर्ता की ओर से गवाहों से पहले ही पूछताछ की जा चुकी है।

/

13. बचाव पक्ष के गवाहों से पूछताछ के लिए तारीख तय की गई थी। अपीलार्थी यदि ऐसा करना चाहता तो गवाहों से पूछताछ कर सकता था। उस मामले में, शिकायतकर्ता की उपस्थिति आवश्यक नहीं थी। बचाव पक्ष की ओर से जिन गवाहों से पूछताछ की गई, उनसे जिरह करना उनका काम था। ”

/

ऊपर के रूप में अवलोकन करने के बाद, पैराग्राफ 15 में, यह इस प्रकार आयोजित किया गया था: “15. ... जब अभियोजन पक्ष ने अपना मामला बंद कर दिया है और अभियुक्त से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के अंतर्गत पूछताछ की गई है, तो न्यायालय को मामले की योग्यता के आधार पर निर्णय पारित करने की आवश्यकता थी। ”

/

/

12. एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड (ऊपर) में, का उद्देश्य

संहिता की धारा 256 जैसे प्रावधान को शामिल करने पर चर्चा की गई थी और इसके आलोक में, पैराग्राफ 16 में, यह निम्नानुसार देखा गया था:

“16. पुरानी संहिता में धारा 247 (या नई संहिता में धारा 256) जैसे प्रावधान को शामिल करने का क्या उद्देश्य था। यह एक शिकायतकर्ता की ओर से विलंबकारी रणनीति के खिलाफ कुछ प्रतिरोध प्रदान करता है जिसने अपनी शिकायत के माध्यम से विधि को गति दी। एक अभियुक्त जो सभी पोस्टिंग दिनों में न्यायालय में उपस्थित होने के लिए मजबूर है, उसे शिकायतकर्ता द्वारा बहुत अधिक उत्पीड़न किया जा सकता है यदि वह उन अवसरों पर न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है जब उसकी उपस्थिति आवश्यक होती है।

/

/

इसलिए यह धारा शिकायतकर्ता की ऐसी रणनीति के खिलाफ आरोपी को सुरक्षा प्रदान करती है।लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अगर शिकायतकर्ता अनुपस्थित है, तो न्यायालय का कर्तव्य है कि वह अभियुक्त को इन्विटम में बरी करे। "

ऊपर के रूप में अवलोकन करने के बाद, यह अभिनिर्धारित किया गया कि जहां शिकायतकर्ता से पहले ही मामले में एक गवाह के रूप में पूछताछ की जा चुकी है, वहां न्यायालय के लिए केवल शिकायतकर्ता के उपस्थित न होने पर बरी करने का आदेश पारित करना उचित नहीं होगा।इस प्रकार, बरी करने के आदेश को दरकिनार कर दिया गया और यह निर्देश दिया गया कि अभियोजन पक्ष उस स्तर से आगे बढ़ेगा जहां वह बरी करने का आदेश पारित होने से पहले पहुंचा था।**13.** तत्काल मामले में, हम देखते हैं कि विशेष अनुमति याचिकाओं में एक विशिष्ट कथन है कि अपीलार्थी ने मामले में अपने साक्ष्य का नेतृत्व किया था और उसके बाद आगे के गवाहों को बुलाने और उनसे पूछताछ करने के लिए संहिता की धारा **311** के अंतर्गत एक आवेदन दायर किया था।पैराग्राफ **5 (यू)** में, यह कहा गया है कि निचली विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने इस बात को ध्यान में नहीं रखा कि शिकायतकर्ता की जिरह शिकायत मामले संख्या **621742/16, 621743/16 और 621744/16** में समाप्त हो गई थी, और अन्य मामलों में कोई जिरह नहीं की गई थी।बल्कि, उपरोक्त तीन शिकायत मामलों में सी. डब्ल्यू.-**1** की प्रतिपरीक्षा को अपनाया गया था।उपरोक्त तथ्यात्मक स्थिति का कोई विशिष्ट खंडन प्रतीत नहीं होता है।हालाँकि, हम पाते हैं कि न तो उच्च न्यायालय और न ही विद्वान मजिस्ट्रेट ने उपरोक्त स्थिति पर ध्यान दिया है।इस प्रकार नीचे दिए गए दोनों न्यायालय इस बात पर विचार करने में विफल रहे कि क्या धारा **256** की उप-धारा **(1)** के परंतुक के अंतर्गत मामले के तथ्यों में, अदालत शिकायतकर्ता की उपस्थिति के साथ मामले को निपटाने के बाद आगे बढ़ सकती है।

/

/

/

/

इसके अलावा, यदि शिकायतकर्ता संहिता की धारा **311** के अंतर्गत आवेदन को दबाने के लिए उपस्थित नहीं हुआ था, तो विद्वान मजिस्ट्रेट संहिता की धारा **311** के अंतर्गत आवेदन को खारिज कर सकते थे और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर मामले को आगे बढ़ा सकते थे। इसलिए, हमारा विचार है कि विद्वत मजिस्ट्रेट ने शिकायतों को तुरंत खारिज करने और शिकायतकर्ता के उपस्थित न होने पर अभियुक्त को बरी करने का आदेश देना उचित नहीं था। उच्च न्यायालय भी उपरोक्त पहलुओं पर ध्यान देने में विफल रहा।इस प्रकार, आक्षेपित आदेशों को अलग रखा जा सकता है।

/

/

14. उपरोक्त कारणों के लिए, उच्च न्यायालय के साथ-साथ विद्वान मजिस्ट्रेट के आदेश (आदेश) निर्धारित किए गए हैं। कार्यवाही विद्वान मजिस्ट्रेट की फाइल पर उनकी मूल संख्या (ओं) पर बहाल हो जाएगी।

/

190

/

[2023] 2 एस सी आर।

और अभियोजन पक्ष अब उस चरण से आगे बढ़ेगा जब शिकायतों को बरी करने/खारिज करने का आदेश पारित किया गया था। 15. अपीलों को उपरोक्त शर्तों में अनुज्ञात जाती है।

निधि जैन

अपीलों की अनुज्ञात गई।

/

/

/

/

/

/

/